जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला – बीजापुर (छ.ग.)
(छ.ग. शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग)

Phone. No.-9425525059, E-Mail: dplcbijapur2017@gmail.com, dplcbijapur2021@gmail.com

क्रमांक/127/जिपलाकॉसो/2024–25 बीजापुर, दिनांक 19/12/2024

//रूचि की अभिव्यक्ति//

आवेदन की अंतिम तिथि 09/01/2024 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक

आवेदन पत्र खोलने की तिथि 09/01/2024 समय अपरान्ह 04.00 बजे से

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला बीजापुर में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के विभिन्न योजनांतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित सेक्टरों में ट्रैनिंग पार्टनर के चयन हेतु आवेदन आंमत्रित किया जाता है:–

क्र.	योजना का नाम	सेक्टर का नाम	कोर्स का नाम	प्रशिक्षण अवधि (घंटों में)
01	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	Infrastructure Equipment	Backhoe Loader Operator	210

<u>रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं।</u>

1. संस्था संबंधित उक्त सेक्टर/व्यवसायों में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) रायपुर (छ.ग.) में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के रूप में पंजीकृत हो।

या

2. ऐसे प्रशिक्षण संस्था/प्रतिष्ठान जो उक्त सेक्टरों में शिक्षण/प्रशिक्षण/व्यवसाय करते हो तथा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कंपनीज एक्त 1956/ट्रस्ट रजिस्टर्ड एण्ड इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत् पंजीकृत हो (संस्था का पंजीयन विज्ञप्ति प्रसारण के दिनांक से न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व का हो) एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने का 03 वर्ष का अनुभव हो।

या

3. राज्य सरकार/भारत सरकार के अधीन संचालित किसी कौशल विभाग कार्यक्रमो का विगत 03 वर्षों से संचालन कर रहा हो।

<u>सुरक्षा निधि</u>

ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदित संस्था को प्रति सेक्टर राशि रू. 10,000.00 (अक्षरी में – दस हजार रू. मात्र) की दर से सुरक्षा निधि, एफ.डी.आर. के रूप में आवेदन के साथ जमा करना होगा। एफ.डी.आर. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, बीजापुर के नाम से ऐक्सिस बैंक बीजापुर शाखा में देय के रूप में जमा करना होगा। प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग–अलग सुरक्षा निधि जमा किया जावे। चयनित ट्रेनिंग पार्टनर का बैंक ड्राफ्ट रोककर शेष ट्रेनिंग पार्टनर को वापस कर दिया जायेगा, जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।

<u>सामान्य शर्ते एवं दायित्व</u>

1. प्रमुख सचिव छ.ग. शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रं./एफ 10–30/2019/कौ.वि./42 दिनांक 16.08.2019 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशिक्षण संचालन किया जाना होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना/मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन शासन द्वारा समय–समय पर जारी की गई दिशा–निर्देश के अनुरूप होगा।
2. संस्था को पूर्व में राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो। (100 रू. के स्टाम्प में इस आशय का शपत पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित संस्था को नोडल अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला बीजापुर से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो तीन वर्ष के लिए होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

Skill Councils

literacy is our aim

🛠 **Our Expert Services**

- Comprehensive tender and project filling support
- Tailored solutions for skill development initiatives
- Assistance with documentation, accreditation, and compliance

📞 **We're Just a Call Away!**
Connect with us now:

- **9630030343** | **7409942666**
- **WhatsApp**: Click Here

🌐 **Explore More**

- **Check Out Tenders**: www.tenderstime.com 📝
- **Learn About Skill Councils**: www.skillcouncils.com 🌐
- **Post Jobs for FREE**: www.BuddyMaa.com 💼

💡 **Let's turn opportunities into lasting success!**

Other Services:

✅ TOT Certified Trainers (PM Vishwakarma, SkillHUB, PMKVY, State Projects, NISE etc.)

✅ Trainer Documents / Collaboration

✅ Batch Scheduling Experts

✅ CAAF Registration and Scheme approval

✅ SIDH Support (TP, TC, Trainers, Candidates)

✅ Bulk Candidates Enrolment, Registration, Attendance etc for NON-PMKVY Projects

✅ Agents are Available for Department Visit, Coordination, Documentation, Presentation in PAN India

4. चयनित संस्था को प्रशिक्षण संचालन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के संचालन एवं अन्य गतिविधियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण देने हेतु तय मानकों के तहत् एवं समय-समय पर जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला बीजापुर के प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही प्रशिक्षण संचालित करना होगा।
5. चयनित संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्य लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन द्वारा आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जावेगा। आवश्यकता नहीं होने पर लाईवलीहुड कॉलेज प्रबंधन प्रशिक्षण कार्य संबंधितों को देने बाध्य नहीं होगा।
6. प्रशिक्षणार्थियों के लिए induction kit (Uniform, ID card & Study materials) एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा ही किया जाएगा ।
7. चयनित संस्था को अनिवार्य रूप से छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्रशिक्षणरत प्रशिक्षाणार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा।
8. संस्था के पास सेक्टर अनुरूप कोर्स में राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुरूप ToT Certified एवं योग्यताधारी प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण हेतु कोर्स अनुरूप निर्धारित उपकरण (लैब सेटअप ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा किये जाने की स्थिति में) अनिवार्यतः उपलब्ध हो। प्रशिक्षकों के बायोडाटा एवं उपकरणों की प्रमाणित सूची आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। TOT certified प्रशिक्षक नहीं होने की स्थिति में यदि ट्रेनिंग पार्टनर का चयन किया जाता है तो उस स्थिति में चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित सेक्टर के कार्स में प्रशिक्षक का TOT certified होना अनिवार्य होगा।
9. सेक्टर/व्यवसाय विशेष हेतु प्रयोगशाला की स्थापना ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा करने की स्थिति में किसी प्रकार का अग्रिम अथवा कोई अतिरिक्ति राशि का भुगतान नही किया जायेगा।
10. चयनित संस्था द्वारा CSSDA के मापदण्ड अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी समय यह पाया जाता है कि, प्रशिक्षण मापदण्ड अनुसार नहीं है तो, अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
11. चयनित संस्थाओं को छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की नवीन गाईडलाइन अनुसार राशि रू. 50,000.00 (अक्षरी राशि रूपये पच्चास हजार मात्र) की बैंक गांरटी अनुबंध की स्थिति में जमा करना अनिवार्य होगा।
12. चयनित संस्था को जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला बीजापुर के प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही प्रशिक्षण संचालन करना होगा।
13. चयनित संस्था को प्रशिक्षण प्रारंभ से परीक्षा संपादन तक समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति, परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व होगा।
14. प्रशिक्षणार्थियों के मोबलाईजेशन तथा प्रशिक्षण उपरांत नियोजन की जिम्मेदारी संस्था की ही होगी। प्रशिक्षण उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को 03 माह के भीतर नियोजित करना होगा। 03 माह पश्चात् नियोजित प्रशिक्षणार्थी के लिए प्रशिक्षण शुल्क का क्लेम नहीं किया जा सकेगा।
15. अर्थदण्ड :- यदि ट्रेनिंग पार्टनर अपने शेड्यूल के अनुसार कार्यो में लापरवाही किये जाने पर अर्थदण्ड के भागी होगें, जो न्यूनतम 5 प्रतिशत की राशि हो सकता है, का निर्धारण कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बीजापुर द्वारा किया जावेगा।
16. चयनित संस्था को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण हेतु योग्यताधारी सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक रखना अनिवार्य है।
17. इसके अतिरिक्त प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर एवं उनके स्टाफ को लाईवलीहुड कॉलेज के code of conduct के अनुसार आचरण करना होगा।
18. यह अनुबंध पूर्ण रूप से अस्थायी होगा तथा यह अनुबंध दोनो पक्षो द्वारा 01 माह पूर्व सूचना देकर निरस्तीकरण की प्रक्रिया की जा सकती है, परंतु प्रशिक्षण के दौरान यदि ट्रेनिंग पार्टनर की ओर से अनुबंध समाप्त किया जाता है, तो उक्त बैच की ट्रेनिंग पूर्ण कराने की जिम्मेदारी ट्रेनिंग पार्टनर की होगी।

    किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, जिला बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

शुल्क का भुगतान एवं शर्तें

1. प्रशिक्षण लागत दर निर्धारण – मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षण लागत दर छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर अनुरूप एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रशिक्षण लागत दर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत निर्धारित दर (PMKVY आनलाईन पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थी के पंजीयन दौरान प्रदर्शित दर या PMKVY cost common norms में प्रकाशित) अनुरूप भुगतान हेतु निर्धारित किया जावेगा।
2. प्रशिक्षण राशि का विभाजन :– छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक/914/रापलाकासो/स्था./2020–21 रायपुर दिनांक 28.01.2021 द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी एवं ट्रेनिंग पार्टनर के मध्य प्रशिक्षण राशि के विभाजन के संबंध में क्रियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्न सारणी अनुसार दिशा–निर्देश जारी की गई है:–

क्र.	लैब लागत राशि	प्रशिक्षण लागत राशि (%)	(A) भवन की उपलब्धता – लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं समस्त लैब सेटअप, उपकरण, आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था – ट्रेनिंग पार्टनर		(A) भवन एवं लैब सेटअप – लाईवलीहुड कॉलेज (B) प्रशिक्षक एवं लैब के लिए आवश्यक कच्चा सामग्री की व्यवस्था – ट्रेनिंग पार्टनर	
			प्रशिक्षण राशि का भुगतान प्रतिशत (%)			
			लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर	लाईवलीहुड कॉलेज	ट्रेनिंग पार्टनर
1	10 लाख से अधिक होने की स्थिति में	100	10	90	30	70
2	10 लाख से कम होने की स्थिति में		15	85		

प्रशिक्षण राशि का भुगतान :–सभी सामान्य शर्तें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना/मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हेतु समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुरूप होगी।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

9. चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र ट्रेनिंग प्रदाताओं में सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य ट्रेनिंग पार्टनरों को सूचीबद्ध किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित सेक्टर में ट्रेनिंग का अनुभव, ट्रेनिंग गुणवत्ता, नियोजन की जानकारी, प्रशिक्षकों की योग्यता आदि मापदण्डो को प्राथमिता दी जावेगी।
10. पूर्व में कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करने के अनुभव हेतु प्रपत्र–अ (I) भरकर, हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या प्रपत्र–अ (II) भरकर, हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
12. पूर्व में प्रशिक्षित सफल हितग्राहियों के नियोजन हेतु रोजगार स्थिति की जानकारी प्रपत्र–अ (III) भरकर, हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
13. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के शतप्रतिशत नियोजन हेतु Tie up किये गए कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र–अ (IV) भरकर, हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा। यहॉं पर उल्लेखनीय है कि, संस्थाएं Tie up किये गये विभिन्न कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता से अनुबंध (MOU) की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी होगी।
14. आवेदित संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सेक्टर के जॉब रोल/कोर्स हेतु प्रशिक्षित हितग्राहियों के ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेतु Tie up किये गये कंपनी/संस्थान/फर्म/नियोक्ता की जानकारी प्रपत्र–अ (V) भरकर, हस्ताक्षरित प्रति जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक संबंधित दस्तावेज/पोर्टल सत्यापित होना अनिवार्य है, अन्यथा दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
16. ट्रैनिंग पार्टनर का चयन Score Matrix के आधार पर प्राप्तांको से किया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. प्रत्येक सेक्टर हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। आवेदन लिफाफ 'अ' एवं 'ब' अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
2. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ. डी.आर. जो कि, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज बीजापुर के पक्ष में जारी हुआ हो, एवं लिफाफा 'ब' में संस्था/एन. जी.ओ./ट्रेनिंग एजेंसी/फर्म आदि के दस्तावेज/जानकारी (परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' संबंधी विवरण)।
3. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित तिथि एवं समय तक स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त आवेदन को अमान्य कर दिया जावेगा।
4. आवेदित किये जाने वाले लिफाफा के ऊपर 'सेक्टर का नाम', 'आवेदित संस्था का नाम' एवं 'पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित' अंकित किया जाना अनिवार्य है।
5. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित लिफाफा में बंद कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र बंद लिफाफा में जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, एजुकेशन सिटी (ज्ञानगुडी), जिला बीजापुर, पिन – 494444 के नाम से निर्धारित तिथि एवं समय तक पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार्य होंगें।
6. ट्रेनिंग पार्टनर हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रण हेतु आवेदन का प्रारूप, परिशिष्ट अ एवं ब तथा प्रपत्र अ (I), अ (II), अ (III), अ (IV), अ (V) तैयार किये गये हैं।

रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन हेतु 14 दिवस का समय देते हुऐ संक्षिप्त विज्ञापन प्रारूप छ.ग. संवाद के माध्यम से प्रदेश स्तरीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाऐगा। विस्तृत विज्ञापन प्रारूप बीजापुर जिले के वेबसाइट में अपलोड किया जाऐगा।

ट्रेनिंग पार्टनर के चयन हेतु Score Matrix

<table>
<tr><th>क.</th><th>विवरण</th><th colspan="2">स्कोर विभाजन</th><th>अधिकतम स्कोर</th><th>आवश्यक प्रपत्र</th><th>रिमार्क</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">संस्था द्वारा पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव</td><td>1–2 वर्ष</td><td>5</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">Work Order/Related Documents</td><td rowspan="26">यदि आवेदन किये गये सेक्टर से भिन्न सेक्टर में अनुभव की स्थिति में केवल 02 अंक ही दिये जायगें।</td></tr>
<tr><td>2–4 वर्ष</td><td>8</td></tr>
<tr><td>>04</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">पूर्व प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या</td><td>Up to 100</td><td>2</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">Related Document</td></tr>
<tr><td>101-200</td><td>3</td></tr>
<tr><td>201-500</td><td>6</td></tr>
<tr><td>>500</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">पूर्व में रोजगार एवं स्वरोजगार की स्थिति (%)</td><td>20%-40%</td><td>3</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">Related Document</td></tr>
<tr><td>41%-60%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>>60%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ToT Certified Trainer</td><td>ट्रेनर का सर्टिफिकेट एवं बॉयोडाटा</td><td>–</td><td>10</td><td>ToT Certificate</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">रोजगार एंव OJT हेतु Industrial Linkage/Company से Tieup</td><td>1-50</td><td>5</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">MOU/ any legal document regarding tie up with companies</td></tr>
<tr><td>51-100</td><td>15</td></tr>
<tr><td>>100</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="4">6</td><td rowspan="4">संस्था का Turnover</td><td><50Lacs</td><td>3</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">Attach CA Certified</td></tr>
<tr><td>50-80 Lacs</td><td>6</td></tr>
<tr><td>80-120 Lacs</td><td>8</td></tr>
<tr><td>>120 Lacs</td><td>10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>प्रशिक्षण की कार्ययोजना</td><td>–</td><td>–</td><td>15</td><td>PPT Pressentation</td></tr>
<tr><td>8</td><td>समिति से चर्चा</td><td>–</td><td>–</td><td>10</td><td>कार्यों से संबंधित चर्चा</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल अंक</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

पूर्व में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय का अनुभव

क.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	कार्यानुभव (वर्ष में)	योजना का नाम	कार्य क्षेत्र (ग्राम/शहर,ब्लॉक, जिला, राज्य का स्पष्ट उल्लेखित करें)	संस्था के पास उपलब्ध उपकरणों की सूची	रिमार्क (अनुभव दर्शित अवधि के संबंधित योजना/विभाग से अधिकृत कार्यदेश/अनुबंध कर प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7	8

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों की संख्या का विवरण

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित हितग्राहीयों की संख्या	रिमार्क (अनुभव दर्शित अवधि के संबंधित योजना/विभाग से अधिकृत कार्यदेश/अनुबंध कर प्रति संलग्न करें)
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	प्रशिक्षित हितग्राहीयों की संख्या	नियोजित हितग्राहीयों की संख्या	नियोक्ता का नाम	नियोक्ता का पता	वेतनमान	संपर्क नंम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

प्रस्तावित सेक्टर/जॉब रोल/कोर्स के नियोजन हेतु टाई–अप कंपनियों की जानकारी

क.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राहीयों की संख्या	नियोजित				रिमार्क (संबंधित कंपनी से अनुबंध/स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				Industrial Linkage/ रोजगार हेतु Tie-up Company				
				आवश्यक निक्तियों की संख्या	पदनाम	कंपनी नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	माबाईल नम्बर एवं email ID	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ऑन जॉब हेतु टाई–अप कंपनियों की जानकारी

क्र.	सेक्टर का नाम	जॉब रोल/कोर्स का नाम	प्रस्तावित हितग्राहीयों की संख्या	ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु टाई अप कंपनी/संस्था की जानकारी का विवरण		रिमार्क (संबंधित कंपनी से अनुबंध/स्टाम्प पेपर पर नियोजन संख्या दस्तावेज संलग्न करें)
				कंपनी/नियोक्ता का नाम व पूर्ण पता	OJT में भेजे जाने वाले हितग्राहीयों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

*प्रशिक्षण कार्य में नियोजित किये जाने वाले प्रशिक्षकों तथा साफ्ट स्किल प्रशिक्षक की जानकारी

क.	प्रशिक्षक का नाम	शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता	सेक्टर / जॉब रोल / कोर्स का नाम	कार्यानुभव	ToT उत्तीर्ण तिथि एवं वैधता की तिथि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

प्रशिक्षण के संचालन हेतु अन्य मानव संसाधन (HR) की जानकारी

कं.	पदनाम	नाम	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

ट्रेनिंग पार्टनर बनने हेतु आवेदन पत्र

सेक्टर का नाम .... कोर्स का नाम ....

19. संस्था का नाम :– ....
(पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं ईमेल सहित) :– ....
....
....

20. संस्था का नाम व पंजीयन कमांक :– ....
(संस्था प्रमुख का नाम, पता एवं मो.न.) ....
....
....

21. संस्था का कार्य क्षेत्र :– ....
....

22. संस्था को किन किन सेक्टर में प्रशिक्षण देने का अनुभव है, कृप्या उल्लेख करें :– ....
....

23. संबंधित कोर्स के लिए प्रशिक्षकों एवं अन्य मानव संसाधन के सेक्टरवार सूची एवं बायोडाटा संलग्न करें (परिशिष्ट ब अनुसार):– ....

24. सेक्टरवार उपलब्ध उपकरणों की सूची संलग्न करें (परिशिष्ट अ (1) अनुसार) :– ....

25. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहीयों की संख्या (परिशिष्ट अ (2) अनुसार) :– ....

26. पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राहियों के रोजगार एवं स्वरोजगार की जानकारी (परिशिष्ट अ (3) अनुसार) :– ....

27. प्रस्तावित सेक्टर में नियोजन हेतु अनुबंध की जानकारी (परिशिष्ट अ (5) अनुसार) :– ....

28. OJT हेतु टाई अप कम्पनियों का विवरण (परिशिष्ट अ (5) अनुसार) :– ....

29. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत 03 वर्षों का) :– ....

30. संस्था का TAN/PAN/GSTN प्रमाणित प्रति संलग्न करें :– ....

31. संस्था कि विगत 03 वर्षों का आयकर विवरण की प्रति संलग्न करें।

32. सुरक्षा निधि की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... बैंक का नाम ....

33. अन्य विवरण :– ....

टीप :– आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

घोषणा पत्र

एतद द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य है। ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में चयन की स्थिति में संस्था समस्त निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)